


रमेश वगेरह बनाम गोरधन वगेरह
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम 1955

राजस्व प्रा. पत्र संख्या 61/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
25.05.2018	<p>प्रार्थी अनुपस्थित।</p> <p>अप्रार्थी संख्या 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 18 उपस्थित जिनके हस्ताक्षर मूल वाद पर अंकित है।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जाकर अप्रार्थीगणों के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया गया है। प्रस्तुत पत्रावली एवं राजस्व रेकार्ड के का अवलोकन से यह जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मौजा करणवा के खसरा नम्बर 834/979, 836, 838 कुल क्षेत्रफल 3.29 हेक्टर भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है। प्रार्थी द्वारा स्व. चुन्नीलाल, डुंगाराम, व गिरधारी पि. मगा जो अप्रार्थीगणों के स्व. पिता/पति है, का हिस्सा उनके जीवनकाल में खरीद करना बताते हुये 5/6 हिस्से की खातेदारी घोषणा व विभाजन का अनुतोष चाहा गया है एवं इसी अनुसार अस्थाई अज्ञाप्ति का निवेदन भी किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि कथित उक्त बेचान नामा दिनांक 18.01.1984 मात्र सादे कागज पर निष्पादित किया गया है। जिसकी प्रथम दृष्टया कोई अहमियत इस प्रार्थना पत्र में नहीं मानी जा सकती है। चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में अपने-अपने हिस्से के अनुसार खातेदार दर्ज है, जिनके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्रार्थी को दिया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।</p>	




 (राजेश मेवाड़ा)
 उपखण्ड अधिकारी
 दसरी